

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

2022/125

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री गौरव कुमार बनौधा पुत्र  
ललित कुमार बनौधा  
निवासी विकास नगर देलवाडा रोड आबूपर्वत  
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 21 वर्ष 2022

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
22.03.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला परिषद चुनाव 2021 में जिला सिरोही के वार्ड संख्या 11 से चुनाव प्रत्याशियों द्वारा दाखिल नामांकन एवं उसके साथ संलग्न आय सम्पत्ति का ब्यौरा एवं शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला परिषद चुनाव 2021 में जिला सिरोही के वार्ड संख्या 11 से चुनाव प्रत्याशियों द्वारा दाखिल नामांकन एवं उसके साथ संलग्न आय सम्पत्ति का ब्यौरा एवं शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 49 दिनांक 11.02.2022 के द्वारा अपीलांत को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरोही

